राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ 3 (ग) (च.वे.मा.)/79–III/अलेसे–II/ 9593-94 दिनांकः– 30.05.2013

कार्यालय आदेश संख्या 90/2013–14

वित्त विभाग के आदेश संख्या प.10(2)वित्त/रूल्स/98 दिनांक 17.02.1998 के अनुसरण मे **श्री श्याम सुन्दर शर्मा**, लेखाकार जिनकी जन्मतिथि **26.07.1953** है। जिन्होंनें कनिष्ठ लेखाकार पद पर दिनांक **09.10.1980** (A/N) को कार्यग्रहण किया था। इन्होंने राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा मे 27 वर्ष अथवा इससे अधिक की निरन्तर एवं संतोषजनक राज्य सेवा पूर्ण कर ली है तथा जो उक्त सेवा मे तृतीय (27 वर्षीय) चयनित वेतनमान प्राप्त करने के पात्र हैं, को दिनांक **24.10.2007** से कनिष्ठ लेखाकार पद का तृतीय चयनित वेतनमान 8000–275–13500 मे स्वीकृत किया जाता है।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा को वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.1(20)वित्त/ ग्रुप–2/92 दिनांक 23.07.1994 मे दी हुई शर्तों के संबंध मे संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र तथा कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ.7 (1) (डी.ओ.पी.)/ क–2/ 95 दिनांक 20.06.2001 के क्रम मे संतान संबंधी घोषणा प्राप्ति के आधार पर चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जाता है।

उपरोक्त लेखाकार के वांछित वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण वित्त विभाग के आदेश प.14 (88) वित्त/नियम/08 दिनांक **27.07.12** द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर विगत 9 वर्षों की एपीएआर में से 7 वर्षों की एपीएआर व संतोषजनक सेवा एवं प्रमाण पत्र प्राप्त होने के आधार पर उक्त ए.सी.पी. इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन मे प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृति के बारे मे निर्णय लिया जाकर तदानुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा, लेखाकार का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 17.02.1998 के पैरा 10 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से **श्री श्याम सुन्दर शर्मा**, लेखाकार की सेवा पुस्तिका मे की जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि संबंधित लेखाकार चयनित वेतनमान स्वीकृत तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) 1998 मे वेतन प्राप्त कर रहें हैं।

निदेशक

क्रमांकः– एफ 3 (ग) (च.वे.मा.)/79–III/अलेसे–II/ 9593-94 **दिनांकः–** 30.05.2013

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष– खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शिव (बाड़मेर)।
2. श्री श्याम सुन्दर शर्मा, लेखाकार, कार्यालय– खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शिव (बाड़मेर)
3. निजी सहायक निदेशक महोदया।
4. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल/गोपनीय अनुभाग/कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाईट हेतु)।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक– I)

F:\Teekam Office Work\NEW 2012\S.M. Gupta Ji\ACP Order.doc